माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश

एन.ई.पी. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2025–26)

पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु

निर्देशिका

दिनेश कुमार मौर्य
परीक्षा नियंत्रक

परमानन्द
कुलसचिव

सामान्य दिशा निर्देश :-

माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर के सत्र 2025–26 के एन.ई.पी. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम सेमेस्टर में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम के साथ–साथ परीक्षा सम्पादन प्रक्रिया से जुड़े अन्य निर्देश एतद्द्वारा जारी किये जा रहे हैं। परीक्षा के सफल संचालन हेतु इन निर्देशों का सम्यक अध्ययन अति आवश्यक है। इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन (उच्च शिक्षा अनुभाग–1) द्वारा निर्गत पत्र संख्या–9/2018/1036/सत्तर–1–2018–16 (9)/2018, दिनांकः 15 नवम्बर 2018, 01/2020/17/ सत्तर–1–2020–16 (9) / 2018, दिनांक 03 जनवरी, 2020 एवं 1043/ सत्तर–1–2022 – 16 (9)/ 2018, दिनांक– 08 अप्रैल, 2022 (छाया प्रति संलग्न) का अक्षरशः पालन किया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी केन्द्राध्यक्षों की होगी।

01. सत्र 2025–26 की सम सेमेस्टर की परीक्षायें दो पाली क्रमशः 08:30 AM से 10:30 AM एवं 11:30 AM से 01:30 PM में कराये जाने का कार्यक्रम जारी किया गया है।
02. को–करिकुलम की परीक्षायें दो पाली में BA/B,Com का 08:30 AM से 10:00 AM एवं BSc/B.Com/BCA/BSc. का 11:30 AM से 01:00 PM तक आब्जेक्टिव पैटर्न पर OMR आधारित होंगी।
03. सत्र 2025–26 हेतु संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा आब्जर्वर की तैनाती की जायेगी।
04. परीक्षा केन्द्रों को अपने निर्धारित नोडल केन्द्रों से लिखित व प्रायोगिक उत्तर–पुस्तिकायें तथा प्रश्न–पत्र प्राप्त करना होगा।
05. परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों के उत्तरोपरान्त प्राप्त की गयी उत्तरपुस्तिकायें/OMR प्रतिदिन निर्धारित संकलन/नोडल केन्द्र पर अपराह्न 04 बजे तक जमा करना आवश्यक होगा।
06. परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट बाद तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश पाने की अनुमति होगी।
07. देर से आने वाले परीक्षार्थियों को कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।
08. महाविद्यालय के मुख्य द्वार और परिसर में सीटिंग प्लान इस तरह से डिस्प्ले किया जाये कि छात्रों की भीड़ एक जगह एकत्र न होने पाये।
09. परीक्षार्थी को पूरे समय परीक्षा में उपस्थित रहना है। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के समय परिसर से बाहर नहीं जायेगा।
10. मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट्स परीक्षा तथा अस्त्र व शस्त्र कक्ष में पूर्णतया वर्जित हैं। परीक्षार्थी एवं कक्ष निरीक्षक दोनों ही मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट्स तथा अस्त्र व शस्त्र परीक्षा कक्ष में नहीं ले जायेंगे, अन्यथा की स्थिति में UFM के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा उक्त प्रतिबन्धित सामग्री जब्त कर ली जायेगी।

केन्द्राध्यक्ष हेतु निर्देश :-

1. शासकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों पर सामान्यतया उसी महाविद्यालय के प्राचार्य / प्राचार्या, जहां परीक्षा केन्द्र है, उस केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त कार्यवाहक प्राचार्य को केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है । समस्त केन्द्राध्यक्ष अपना परिचय पत्र परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से प्राप्त करेंगे।
2. केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा कार्य हेतु लगाये गये समस्त कर्मचारियों के फोटो लगे परिचय पत्र जिनमें उनकी शैक्षिक योग्यता/विषय आदि सहित पूर्ण विवरण अंकित हो बनवाया जाये।

3. परीक्षाओं को सुचारु रूप से कराने एवं परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी परीक्षा केन्द्रों पर एक अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। केन्द्राध्यक्ष को यह ध्यान रखना होगा कि अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति का प्रस्ताव वरिष्ठ अध्यापकों में से ही करेंगे वे पूर्ण रूप से परीक्षा कार्य के प्रति उत्तरदायी माने जायेंगे।

4. महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर परीक्षा के समय ताला ना लगाया जाये लेकिन सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था की जाये।

5. महाविद्यालय के शिक्षक / कर्मचारी जिनके पालित परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको परीक्षा कार्य से विरत रखा जाये।

6. परीक्षा कार्य सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु केन्द्राध्यक्ष निम्नलिखित विवरणानुसार एक पाली में पंजीकृत परीक्षार्थियों के अनुसार सहायक केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति कर सकते हैं:–

परीक्षार्थी संख्या 001 से 100 तक पर एक

परीक्षार्थी संख्या 101 से 300 तक पर दो

परीक्षार्थी संख्या 301 से 500 तक पर तीन

परीक्षार्थी संख्या 500 से अधिक पर चार अधिकतम् ।

सहायक केन्द्राध्यक्ष उसी विद्यालय के अध्यापक होने चाहिये, जिन्हें वरिष्ठता चक्रीयक्रमानुसार नियुक्त किया जाये।

7. (क) प्रत्येक 20 छात्रों के लिये एक कक्ष–निरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

(ख) किसी भी एक कक्ष में दो से कम कक्ष निरीक्षक नहीं रहेंगे।

(ग) जिन अध्यापकों की ड्यूटी कक्ष–निरीक्षक के रूप में लगायी जाये उनके पास फोटोयुक्त परिचय पत्र का होना अनिवार्य है।

(घ) केन्द्राध्यक्ष ऐसे अध्यापकों को जो विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित हो रहें हों, कदापि कक्ष–निरीक्षक नियुक्त न करें, चाहें उसके प्रश्न–पत्र की परीक्षा समाप्त ही क्यों न हो गयी हो।

8. उत्तर प्रदेश शासन (उच्च शिक्षा अनुभाग–1) द्वारा निर्गत पत्र संख्या–9/2018/1036/सत्तर–1–2018–16 (9)/2018, दिनांक 15 नवम्बर 2018, संख्या–01/2020/17/सत्तर–1–2020–16 (9)/2018 दिनांक 03 जनवरी, 2020 तथा 1043/सत्तर–1–2022–16 (9)/2018, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 (छायाप्रति संलग्न) में परीक्षा केन्द्रों पर समुचित व्यवस्था एवं परीक्षा को शुचिता पूर्वक सम्पन्न करायें जाने हेतु उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

9. **आन्तरिक उड़नदस्ते का गठन (आवश्यकता पड़ने पर) –**

आन्तरिक उड़नदस्ता की व्यवस्था निम्नलिखित विवरणानुसार अनुमन्य होगी–

– प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 50 तक पर कोई उड़नदस्ता नहीं होगा।

– प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 51 से 100 तक 01 उड़नदस्ता 02 सदस्यीय ।

– प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 101 से 500 तक के लिये 02 उड़नदस्ता प्रत्येक 02 सदस्यीय ।

– प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 501 से अधिक होने पर 03 उड़नदस्ता 02 सदस्यीय (अधिकतम) अनुमन्य है।

10. नकलविहीन परीक्षा कराने हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। परीक्षा केन्द्र अपने स्तर से भी नकल विहीन परीक्षा कराने हेतु व्यवहारिक कदम उठा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1043 /सत्तर–1–2022–16 (9) / 2018, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
11. परीक्षाओं में नेत्रहीन तथा अन्य स्थायी/अस्थायी रूप से विकलांग परीक्षार्थियों को श्रुतिलेखक के माध्यम से परीक्षा देने की सुविधा प्रदत्त होगी। श्रुति लेखक की सुविधा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान की जायेगी। उक्त प्रकार के परीक्षार्थियों को उसकी योग्यता से कम योग्यता प्राप्त अनवरत रूप से अध्ययनरत छात्र को ही श्रुति लेखक के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इस हेतु श्रुति लेखक की तीन प्रति पासपोर्ट साइज फोटो जो केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रमाणित हो, चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दोनों पक्षों की उपस्थिति के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। बिना परीक्षा नियंत्रक के पूर्व अनुमति के श्रुति लेखक की सुविधा मान्य नहीं होगी।

उत्तरपुस्तिका/OMR आधारित परीक्षा हेतु केन्द्राध्यक्षों को विशेष निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्नपत्र को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नोडल केन्द्र के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों को पूर्व निर्धारित समय पर उपलब्ध कराया जायेगा। परीक्षा केन्द्र का उत्तर दायित्व है कि वे ससमय उसे नोडल केन्द्र से प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्नपत्र की पैकिंग सामान्यतः प्रतिदिन होने वाले प्रश्नपत्रों के आधार पर की गयी है, लेकिन किसी विशेष स्थिति में इसमें परिवर्तन भी हो सकता है।
3. केन्द्राध्यक्ष प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्नपत्र को डबल लॉक में सुरक्षित रखेगें और प्रत्येक पाली की परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घण्टे पहले डबल लॉक से परीक्षा नियंत्रण कक्ष में लायेंगे।
4. प्रश्नपत्रों को परीक्षा नियंत्रण कक्ष में सामान्यतः 30 मिनट पूर्व ही खोला जायेगा। प्रश्नपत्रों को खोलने के तुरन्त बाद यदि कोई विसंगति प्राप्त हो तो उसे अविलम्ब परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय को सूचित करें। उक्त परीक्षाओं में सुचिता का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा यदि कोई विसंगति पायी जाती है तो मोबाईल इत्यादि के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अविलम्ब सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त हेतु समस्त दायित्व केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य का होगा।

12. परीक्षार्थी हेतु आसन व्यवस्था :-

प्रश्नपत्रों पर सिरीज अंकित है अतः आसन व्यवस्था पर विशेष ध्यान आवश्यक है। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों हेतु आसन व्यवस्था अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में की जायेगी ।

प्रश्न पुस्तिका और उत्तरपुस्तिका/OMR का वितरण :-

1. उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्नपत्र का वितरण कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व किया जायेगा। उस समय जो परीक्षार्थी उपस्थित होगें। उनको उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्नपत्र प्रदान कर दी जायेगी और जैसे–जैसे छात्र आते जायेंगे वैसे–वैसे उनको उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्नपत्र प्राप्त होती रहेगी।

2. प्रश्नपत्र का वितरण आसन्न व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा अर्थात् सभी डेस्क पर अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में प्रश्नपत्र रखे जायेंगे एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त जो छात्र/छात्रा अनुपस्थित है उनके प्रश्नपत्र उठा लिये जायेंगे।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टे उपरान्त परीक्षा कक्ष से Unused Question Booklet और उत्तरपुस्तिका /OMR वापस परीक्षा नियंत्रण कक्ष में मंगवा ली जायेगी।
4. उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्नपत्र पर उल्लेखित सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

परीक्षा समाप्ति के बाद पैकिंग :-

1. लिखित उत्तरपुस्तिका/OMR की पैकिंग – लिखित उत्तरपुस्तिका/OMR की पैकिंग विषयवार होगी अर्थात् एक पेपर कोड की लिखित उत्तरपुस्तिका/OMR की पैकिंग एक साथ की जायेगी। लिखित उत्तरपुस्तिका /OMR को अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है एवं इसके साथ अलग से प–6 को पैक करना है। इसी प्रकार प्रत्येक पेपर कोड के पैकेट बना लेने है। इन पैकेट्स को इकट्ठा कर एक बड़ा पैकेट बनाकर उसको मारकीन के कपड़े में सील कर नोडल केन्द्र हेतु प्रेषित करना है। पैकेट में प–1 और प–4 की प्रति भी रखनी है। पैकेट के सबसे ऊपर परीक्षा केन्द्र का कोड, परीक्षा की तिथि एवं पाली, पेपर कोड व उत्तर–पुस्तिका संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करनी है। जिन महाविद्यालयों में अन्य महाविद्यालयों का केन्द्र है, उनकी भी पैकिंग उपरोक्तानुसार करनी है।
2. सभी परीक्षा केन्द्रों को नोडल केन्द्र से प्राप्त रिसिविंग की स्लिप अपने पास सुरक्षित रखनी है। आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. UFM में पकड़े जाने वाले परीक्षार्थी को लिखित उत्तरपुस्तिका/OMR को सीधे परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में (UFM) प्रेषित/जमा किया जायेगा।
4. लिखित उत्तरपुस्तिका/OMR को भी उपरोक्त पैकेट में भेजा जायेगा।

कक्ष निरीक्षकों के लिये निर्देश :-

1. कक्ष निरीक्षक प्रवेश पत्र के आधार पर ही परीक्षार्थियों को कक्ष में प्रवेश देंगे।
2. उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्नपत्र सीट परीक्षा प्रारम्भ होने से 15 मिनट पूर्व वितरित करेंगे।
3. परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका/OMR की सभी प्रवष्टियाँ काले व नीले बॉल पेन से भरने हेतु निर्देशित करेंगे।
4. प–7 की सभी प्रविष्टियाँ परीक्षा के समय ही करायी जायेंगी।
5. उत्तरपुस्तिका/OMR पर हस्ताक्षर करते समय कक्ष निरीक्षक सभी प्रविष्टियों का मिलान प्रवेश पत्र और प्रश्नपत्र से कर लेंगे।
6. प–6 और उत्तरपुस्तिका/OMR पर प्रविष्टियों के कालम को छोड़कर कहीं और लिखना निशान लगाना मना है।
7. प्रश्नपत्र वितरण करते समय सीटिंग प्लान के अनुसार अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में सभी डेस्क पर प्रश्नपत्र रखनी है और अनुपस्थित छात्रों का प्रश्नपत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट बाद उठा लेनी है।

8. परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व ही वितरित करनी है और इस बात की घोषणा भी करनी है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्नपत्र के पृष्ठों की संख्या और प्रिन्टिंग के बारे में आश्वस्त हो लें।
9. खराब प्रिन्ट या किसी अन्य कारण से यदि किसी परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्नपत्र सीट बदलनी पड़ती है तो उसे उसी सिरीज की प्रश्नपत्र दी जायेगी।
10. परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षार्थी अपना प्रश्नपत्र अपने साथ ले जायेगा।
11. लिखित उत्तरपुस्तिका/OMR को अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में लगाकर नियंत्रण कक्ष जमा करना है।
12. परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण/ अस्त्र–शस्त्र वर्जित है। कक्ष निरीक्षक भी परीक्षा कक्ष में अपने साथ मोबाइल फोन नहीं रखेंगे।

परीक्षार्थियों के लिये निर्देश -

1. परीक्षार्थियों को सीटिंग प्लान के अनुसार अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठना है।
2. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये मूल प्रवेश–पत्र लाना आवश्यक होगा।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट तक ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी ।
4. उत्तरपुस्तिका/OMR की सभी प्रविष्टियों को नीले या काले बॉल पेन से सही–सही भरना है।
5. परीक्षा के समय कक्ष निरीक्षक के साथ सहयोग करना है एवं अन्य प्रपत्रों की सभी सही–सही भरना है।
6. परीक्षा प्रारम्भ होने पर ही उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्नपत्र सीट की सील ओपेन करनी है और सर्वप्रथम प्रश्नपत्र सीट परीक्षा के प्रारम्भ समस्त पृष्ठों उनकी प्रिन्टिग और प्रश्नों के क्रम को सुनिश्चित करने के बाद ही तत्काल कक्ष निरीक्षक के संज्ञान में लाकर उसी सिरीज की नई प्रश्नपत्र सीट प्राप्त करें।
7. परीक्षा प्रारम्भ होने से 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करना है।
8. अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रानिक गैजेट, पर्स और मोबाइल फोन, अस्त्र–शस्त्र इत्यादि नहीं ले जाना है।
9. उत्तरपुस्तिका/OMR को तोडना, मरोड़ना तथा निशान नहीं लगाना है।
10. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त प्रश्नपुस्तिका अपने साथ ले जानी है और उत्तरपुस्तिका/OMR कक्ष निरीक्षक को जमा कर देनी है।

केन्द्राध्यक्षों, कक्ष निरीक्षकों पर प्रहार आदि-

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करते पकड़े जाने पर अथवा कक्ष–निरीक्षकों की सतर्कता के कारण अनुचित साधन प्रयोग के अपने प्रयत्न में विफल होने पर अनेक परीक्षार्थी कक्ष–निरीक्षकों के प्रति अभद्र व्यवहार कर बैठते हैं। कभी–कभी कक्ष–निरीक्षकों, केन्द्राध्यक्षों आदि पर सामूहिक आक्रमण अथवा घातक प्रहार की भी घटनायें घटित हो जाती हैं, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये केन्द्राध्यक्षों को मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किये गये हैं तथा कक्ष–निरीक्षकों एवं केन्द्राध्यक्षों को परीक्षा आरम्भ के एक माह पूर्व से लेकर दो माह पश्चात् तक की अवधि के लिये लोक सेवक घोषित किया गया है। सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों को भी इस विषय में सूचित कर दिया गया है तथा उनसे असामाजिक तत्वों के नियन्त्रण हेतु आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया जा रहा है।

अनुशासनहीनता एवं प्रहार की अवांछनीय घटनाओं में संलिप्त परीक्षार्थियों के विरुद्ध समय से कार्यवाही करने के लिये यह आवश्यक है कि घटना का पूर्ण विवरण पत्र पर साक्षियों के वक्तव्य आदि के साथ तत्काल चार प्रतियों में तैयार करके एक प्रति परीक्षा नियन्त्रक कार्यलय को, एक प्रति स्थानीय पुलिस को तथा एक प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को पूर्ण

आख्या एवं संस्तुति के साथ प्रेषित कर दें। घटना के सम्बन्ध में साक्षियों का पूर्ण विवरण, उनका पूरा पता, पत्र आदि का उल्लेख करते हुये उनका वक्तव्य तथा आपेक्षक की घटना के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त आपेक्ष–पत्र मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न किया जाये जिससे दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप–पत्र तैयार करने में तथा जांच समितियों द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को साक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। घटना केन्द्र की सीमा में हो अथवा केन्द्र के बाहर, यदि उससे कोई कक्ष निरीक्षक प्रभावित है और यह अनुभव करता है कि घटना का सम्बन्ध परीक्षा में उसके निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वाह से है तो उसकी सूचना अवश्य भेजी जाये और अनुशासनहीनता, प्रहार, हत्या, धमकी, अग्निकांड आदि की गम्भीर घटनाओं की सूचना के लिये प्रपत्र का प्रयोग किया जाये। अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े जाने पर प्रपत्र आदि भरने से इन्कार करने की घटनाओं की सूचना अनुचित साधन का प्रयोग सम्बन्धी प्रपत्र में ही दी जाये तथा **पी–3** में पूर्ण विवरण यथा परीक्षार्थी के वक्तव्य एवं हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक की रिपोर्ट एवं केन्द्राध्यक्ष की संस्तुति सहित नकल सामग्री, जिस पर केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित अनिवार्य है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रभावी रूप से प्रयोग करते हुये परीक्षा में अनुशासनहीनता रोकने और परीक्षा कर्मचारियों को अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें। इस दिशा में जिलाधिकारियों से सभी आवश्यक सहायता प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया जाये।

नोडल केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों हेतु विशेष निर्देश :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा कोरी उत्तर पुस्तिकायें समस्त नोडल केन्द्रों को उपलब्ध करायी जायेंगी। नोडल केन्द्र प्रभारी नोडल से सम्बद्ध समस्त परीक्षा केन्द्रों को आवश्यकतानुसार कोरी उत्तर पुस्तिकायें उपलब्ध करायेंगे। परीक्षा केन्द्रों को उपलब्ध कराई गयी उत्तरपुस्तिकाओं का सीरियल नं० का रिकार्ड नोडल प्रभारी द्वारा रखा जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय को प्रेषित भी किया जायेगा।
2. सत्र 2025–26 की एन0ई०पी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये जनपद–बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा व बहराइच की परीक्षाओं हेतु प्रश्नपत्रों का वितरण नोडल केन्द्र से होगा। परीक्षा केन्द्र प्रतिदिन पाली वाइज अपने निर्धारित नोडल केन्द्र से प्रश्नपत्र प्राप्त करें।
3. लिखित उत्तर पुस्तिका/OMR सीट परीक्षा केन्द्रों द्वारा निर्धारित संकलन/नोडल केन्द्र पर सायं 04:00 बजे तक जमा किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2024)

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने सॉल्वर गिरोह को अभिनिषिद्ध करने और उससे सम्बन्धित आनुषांगिक मामलों का उपबन्ध करने की व्यवस्था करने के लिये।

अधिनियम

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में सं. 338/79–वि–1–2024–1–क–9–2024 लखनऊ, 06 अगस्त, 2024 को निर्गत अधिसूचना /अधिनियम बनाया जाता है] (फोटो प्रति संलग्न) ।

परीक्षा नियंत्रक

माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर

Center Code	Paper Code	No of Answer Book

विषयवार उत्तरपुस्तिका / **OMR** बन्डल पर सूचना का प्रारूप

Maa Pateswari University, Balrampur	
First Semester Exam 2025-26	
Examination Center Code:	
College Name:	
Examination:	BA./B.Sc./B.Com/BCA/M.A./ M.Com/ M. Sc./B.Sc.AG/M.Sc.AG/BPES/B.P.Ed./M.P.Ed./ B.Lib/ M.Lib. etc.
Subject & Paper Code:	
Registered Students:	
Present Students:	
Absent Students:	
No. Of Answer Booklet:	
Date:	
Meeting:	

Seal & Signature

Center Superintendent

समयबद्ध

संख्या-9/2018/1036/सत्तर-1-2018-16(9)/2018

प्रेषक,

डॉ0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 15 नवम्बर, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-04/2018/101/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 01 फरवरी, 2018 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उपर्युक्त शासनादेश को संशोधित करते हुये परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त एवं संघटक महाविद्यालयों में स्व-केन्द्र के स्थान पर यथासंभव निकटतम महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय किन्तु छात्राओं के लिये स्व-केन्द्र प्रणाली लागू रहेगी।

(2) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले जिन महाविद्यालयों की छात्राओं को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी वहां वाह्य अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ वाह्य महाविद्यालयों से नियुक्त किया जाय।

(3) विगत तीन वर्षों में सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति/शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(4) महविद्यालयों की आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं में महाविद्यालय की स्थिति, उसकी धारण क्षमता, फर्नीचर, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा सड़क मार्ग से महाविद्यालयों के मध्य दूरी इत्यादि को दृष्टिगत रखा जाय तथा उक्त सुविधाओं के अभाव में महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(5) जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 लगा होना अनिवार्य होगा।

(6) परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्या एक कक्ष में न्यूनतम दो व जहां कक्ष/हाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक **सी0सी0टी0वी0** कैमरे में वायस रिकार्डर लगा होना अनिवार्य है।

(7) परीक्षा केन्द्र चयनित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध पक्के/लिंटर्ड शिक्षण कक्षों (प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्राचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, क्रीड़ा कक्ष को छोड़ कर) में उपलब्ध फर्नीचर के अनुसार एक पाली की परीक्षा में नियमानुसार व्यवस्थित रूप से बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अर्थात महाविद्यालय की धारण क्षमता (शिक्षण कक्षों पर परीक्षा देने हेतु एक परीक्षार्थी के लिये **20** वर्गफुट (1.86 वर्गमी0) का क्षेत्रफल निर्धारित है, के सापेक्ष ही परीक्षार्थी आवंटित किये जाने की व्यवस्था का दृढ़ता से पालन किया जाय।

(8) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता अक्षुण्ण रखे जाने हेतु तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित एवं समुचित रख-रखाव के लिये कम से कम दो लोहे की अलमारियां सहित स्ट्रांग रूम की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(9) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

(10) परीक्षा केन्द्र चयनित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध शिक्षण कक्षों की संख्या के सापेक्ष उनकी धारण क्षमता, फर्नीचर आदि को दृष्टिगत रखते हुये सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाये, तत्पश्चात स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जायेगा।

(11) जिन महाविद्यालयों के परिसर में प्रबन्धक/प्राचार्य के आवास निर्मित हैं, उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(12) जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को न्यूनतम **03** वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(13) जिन महाविद्यालयों के डाटा **ए0आई0एस0एच0ई0** के पोर्टल पर अपलोड न हों, उन्हें यथासंभव परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाय।

(14) गत वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हों और प्रथम सूचना रिपोर्ट **(एफ0आई0आर0)** दर्ज कराई गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(15) जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(16) परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त **सी0सी0टी0वी0** कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम **60** दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।

(17) किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक को हटाकर वहां राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम असिस्टेन्ट प्रोफेसर को सह केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित करायी जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(18) परीक्षाओं में भी पूर्व की भांति प्रत्येक परीक्षा कक्ष में (परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुये) दो कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था लागू रहेगी। राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जो शिक्षक ड्यूटी/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन विषयक आदेशों की अवहेलना करेंगे या सौंपे गये कार्यों को नहीं करेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा तथा तद्नुसार उनका वेतन काट लिया जाय।

(19) परीक्षा कक्ष के द्वार पर ए-4 साइज के पेपर पर परीक्षा कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षकों के फोटोयुक्त विवरण यथा-नाम, पदनाम, अध्यापन का विषय आदि का विवरण प्रत्येक पाली में चस्पा किया जाय।

(20) परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुडे. व्यक्तियों से इतर वाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश वर्जित होगा।

(21) परीक्षाओं में भविष्य में औचक निरीक्षण हेतु गठित सचल दल में महिला निरीक्षणकर्ता की अनिवार्य व्यवस्था की जाय तथा जिन परीक्षा केन्द्रों पर महिला परीक्षार्थी आवंटित की गयी हैं वहां पर महिला कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की जाय। किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरूष सदस्य द्वारा महिला परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं ली जायेगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी सचल दल की महिला निरीक्षणकर्ता द्वारा ही की जायेगी। परीक्षा कक्ष में निरीक्षण दल/सचल दल के सदस्य एवं पर्यवेक्षक ही प्रवेश कर सकेंगे अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा।

(22) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय में अग्निशमन के निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित प्रबंध अनिवार्य होगा। अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एक्सटींग्विशर, पानी की बाल्टियां एवं रेत आदि की व्यवस्था वांछनीय होगी। सभी अग्निशमन यंत्र नवीनीकृत होने चाहिए।

(23) परीक्षा केन्द्र बनने वाले महाविद्यालयों में विद्युत की अबाध आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके दृष्टिगत जेनरेटर का भी वैकल्पिक प्रबंध होना अनिवार्य होगा।

(24) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय होना अति आवश्यक होगा एवं छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय होना अति आवश्यक होगा।

(25) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय मुख्य/सम्पर्क सर्वऋतु मार्ग से जुड़ा हो, ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की आकस्मिक जांच एवं नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्वक हो सके।

(26) राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पूर्ण धारण क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाय।

(27) एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।

(28) यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगाकर या खुले में परीक्षाएं आयोजित न करायी जाय।

(29) एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय इसके साथ ही विभन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किये जाने का भी निषेध किया जाता है। इस प्रकार ऐसे केन्द्रों का आवंटन कदापि न किया जाय। इसी के साथ ही प्रबन्धतंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

केन्द्रों पर उसी प्रबन्धतंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी जाय।

(30) विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर नहीं आवंटित किया गया है, विभन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है तथा एक ही प्रबन्धतंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्धतंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी गयी है।

(31) परीक्षा केन्द्र यथासम्भव **08** कि0मी0 की परिधि के महाविद्यालयों में निर्धारित किया जाय।

(32) वर्ष **2019** की परीक्षाओं हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो उन्हें अपने ही महाविद्यालय में केन्द्र आवंटित किया जाय। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को जहां स्वकेन्द्र/स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके, वहां उन्हें अधिकतम 05 कि0मी0 की परिधि के केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाय। यह सुविधा उन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत छात्राओं को भी उपलब्ध कराई जाय जो सहशिक्षा के महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। एक महाविद्यालय की छात्राओं को अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित नहीं किया जाय।

(33) दिव्यांग छात्र/छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, तो स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाय। अन्यथा स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यथास्थिति स्थानीय/निकटस्थ परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने हेतु समायोजित किया जाएगा।

(34) जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार नहीं किए गए है तो केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहॉं के प्राचार्य डिबार है वहां वाहय केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

(35) परीक्षा के दौरान 200 मीटर तक प्रबन्ध समिति अथवा अन्य व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से सम्बन्धित नही है, उन्हें प्रवेश न दिया जाय।

(36) प्रश्नपत्र यथासम्भव शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में वितरित/प्राप्त किये जायें।

(37) परीक्षा केन्द्रों के आंवटन हेतु आवेदन केवल आनलाइन किया जायेगा, निश्चित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। आवेदन के समय नियमावली में वांछित सभी सूचनाओं को सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा पूर्ण विवरण के साथ देनी होगी।

(38) समय-समय पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के आंवटन की प्रक्रिया की पारदर्शिता का परीक्षण करेंगे। विसंगति/आपत्ति प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त करना होगा।

(39) यथा सम्भव उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा समाप्ति के 02 घण्टे के भीतर सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में सम्बन्धित जिले के शासकीय महाविद्यालय के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र पर जमा की जायेगी।

(40) जिला/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समन्वय स्थापित करके प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा।

(41) परीक्षा केन्द्र के भीतर पुस्तक, गाइड, कम्प्यूटर, मोबाइल व कैलकुलेटर अनुमन्य नही होंगे, इसकी सूचना पहले से ही विद्यार्थियों को देनी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(42) समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एवं उसका विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद नोडल अधिकारी होंगे। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। उक्त प्रारूप पर सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की ई मेल [इन्फो एट द रेट डीएचईयूपी डाट कॉम] पर दैनिक रूप से रात्रि **09:00** बजे तक प्रेषित की जाय।

(43) निदेशक उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित छात्र छात्राओं, महाविद्यालय के प्रबन्धन, शिक्षक/शिक्षणेतर कार्मिकों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शासन को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
(डॉ0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/2018/1036(1)/सत्तर-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-01/2020/17/सत्तर-1-2020-16(9)/2018

प्रेषक,

आर0 रमेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 03 जनवरी, 2020

विषयः-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-09/2018/1036/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 (यथा संशोधित) द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उपर्युक्त शासनादेश को संशोधित करते हुये परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये हैः-

1- जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मानीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे के डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा।

2- परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्याए एक कक्ष में न्यूनतम दो व जहां कक्षहाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी0सी0टी0वी0 कैमरे में वायस रिकार्डर एवं डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।

3- सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय, तत्पश्चात स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय।

4- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता अक्षुण्ण रखे जाने हेतु तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित एवं समुचित रख-रखाव के लिये कम से कम दो लोहे की अलमारियां सहित स्ट्रांग रूम की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

5- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

6- महाविद्यालयों की आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं में महाविद्यालय की स्थिति, उसकी धारण क्षमता, फर्नीचर, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा सड़क मार्ग से महाविद्यालयों के मध्य दूरी इत्यादि को दृष्टिगत रखा जाय तथा उक्त सुविधाओं के अभाव में महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

7- परीक्षा केन्द्र चयनित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन युक्त पक्के, लिंटर्ड शिक्षण कक्षों (प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्राचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, क्रीड़ा कक्ष को छोड़ कर) में उपलब्ध फर्नीचर के अनुसार एक पाली की परीक्षा में नियमानुसार व्यवस्थित रूप से बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अर्थात महाविद्यालय की धारण क्षमता

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(शिक्षण कक्षों पर परीक्षा देने हेतु एक परीक्षार्थी के लिये 20 वर्गफुट (1.86 वर्गमी0) का क्षेत्रफल निर्धारित है, के सापेक्ष ही परीक्षार्थी आवंटित किये जाने की व्यवस्था का दृढ़ता से पालन किया जाय।

8- राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त एवं संघटक महाविद्यालयों से यथासंभव 5 से 10 किमी0 की परिधि में आने वाले महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जायें। छात्राओं के लिये स्व-केन्द्र प्रणाली लागू रहेगी।

9- परीक्षाओं हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो उन्हें अपने ही महाविद्यालय में केन्द्र आवंटित किया जाय। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को जहां स्वकेन्द्र स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके, वहां उन्हें अधिकतम 05 कि0मी0 की परिधि के केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाय। यह सुविधा उन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत छात्राओं को भी उपलब्ध कराई जाय जो सहशिक्षा के महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। एक महाविद्यालय की छात्राओं को अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित नहीं किया जाय।

10- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले जिन महाविद्यालयों की छात्राओं को स्व-केन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी वहां वाह्य अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ वाह्य महाविद्यालयों से नियुक्त किया जाय।

11- विगत तीन वर्षों में सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के निरीक्षण/ पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

12- जिन महाविद्यालयों के परिसर में प्रबन्धक/प्राचार्य के आवास निर्मित हैं, उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

13- जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को न्यूनतम 03 वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

14- जिन महाविद्यालयों के डाटा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर अपलोड न हों, उन्हें यथासंभव परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाय।

15- गत वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

16- जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

17- परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।

18- किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक को हटाकर वहां राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम असिस्टेन्ट प्रोफेसर को सह केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित करायी जायें।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19- परीक्षाओं में भी पूर्व की भांति प्रत्येक परीक्षा कक्ष में (परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुये) दो कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था लागू रहेगी। राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जो शिक्षक ड्यूटी/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन विषयक आदेशों की अवहेलना करेंगे या सौंपे गये कार्यों को नहीं करेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा तथा तद्नुसार उनका वेतन काट लिया जाय।

20- परीक्षा कक्ष के द्वार पर ए-4 साइज के पेपर पर परीक्षा कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षकों के फोटोयुक्त विवरण यथा-नाम, पदनाम, अध्यापन का विषय आदि का विवरण प्रत्यके पाली में चस्पा किया जाय।

21- परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुडे व्यक्तियों से इतर वाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश वर्जित होगा।

22- परीक्षाओं में भविष्य में औचक निरीक्षण हेतु गठित सचल दल में महिला निरीक्षणकर्ता की अनिवार्य व्यवस्था की जाय तथा जिन परीक्षा केन्द्रों पर महिला परीक्षार्थी आवंटित की गयी हैं वहां पर महिला कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की जाय। किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरूष सदस्य द्वारा महिला परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं ली जायेगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी सचल दल की महिला निरीक्षणकर्ता द्वारा ही की जायेगी। परीक्षा कक्ष में निरीक्षण दल/सचल दल के सदस्य एवं पर्यवेक्षक ही प्रवेश कर सकेंगे, अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय में अग्निशमन के निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित प्रबंध अनिवार्य होगा। अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एक्सटींग्विशर, पानी की बाल्टियां एवं रेत आदि की व्यवस्था वांछनीय होगी। सभी अग्निशमन यंत्र नवीनीकृत होने चाहिए।

23- परीक्षा केन्द्र बनने वाले महाविद्यालयों में विद्युत की अबाध आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके दृष्टिगत जेनरेटर का भी वैकल्पिक प्रबंध होना अनिवार्य होगा।

24- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय होना अति आवश्यक होगा एवं छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय होना अति आवश्यक होगा।

25- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय मुख्य/सम्पर्क सर्वऋतु मार्ग से जुड़ा हो, ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की आकस्मिक जांच एवं नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्वक हो सके।

26- राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पूर्ण धारण क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाय।

27- एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।

28- यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगाकर या खुले में परीक्षाएं आयोजित न करायी जाय।

29- एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय इसके साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किये जाने का भी निषेध किया जाता है। इस प्रकार ऐसे केन्द्रों का आवंटन कदापि न किया जाय। इसी के साथ ही प्रबन्ध-तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्ध तंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी जाय।

30- विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर नहीं आवंटित किया गया है, विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है तथा एक ही प्रबन्ध-तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्ध-तंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी गयी है।

31- दिव्यांग छात्र/छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, तो स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाय। अन्यथा स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यथास्थिति स्थानीय/निकटस्थ परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने हेतु समायोजित किया जाएगा।

32- जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार नहीं किए गए है तो केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहां के प्राचार्य डिबार है वहां वाह्य केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

33- परीक्षा के दौरान 200 मीटर तक प्रबन्ध समिति अथवा अन्य व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से सम्बन्धित नही है, उन्हें प्रवेश न दिया जाय।

34- प्रश्नपत्र यथासम्भव शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में वितरित/प्राप्त किये जायें।

35- परीक्षा केन्द्रों के आंवटन हेतु आवेदन केवल आनलाइन किया जायेगा, निश्चित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। आवेदन के समय शासनादेशों में वांछित सभी सूचनाओं को सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा पूर्ण विवरण के साथ देना होगा।

36- समय-समय पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के आंवटन की प्रक्रिया की पारदर्शिता का परीक्षण करेंगे। विसंगति/आपत्ति प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त करना होगा।

37- यथा सम्भव उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा समाप्ति के 02 घण्टे के भीतर सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में सम्बन्धित जिले के शासकीय महाविद्यालय के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र पर जमा की जायेगी।

38- जिला/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समन्वय स्थापित करके प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा।

39- परीक्षा केन्द्र के भीतर पुस्तक, गाइड, कम्प्यूटर, मोबाइल व कैलकुलेटर अनुमन्य नही होंगे, इसकी सूचना पहले से ही विद्यार्थियों को देनी होगी।

40- (1) समस्त परीक्षा केन्द्रो पर राउटर लगाये जाने के पश्चात् केन्द्र व्यवस्थापको/ प्राचार्यो द्वारा पारदर्शितापूर्ण परीक्षा संचालन की वेबकास्टिंग व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापको/प्राचार्यो द्वारा केन्द्र में लगे **DVR** का आई0पी0 एड्रेस उनकी यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड एक सील बन्द लिफाफे में परीक्षा प्रारम्भ के एक माह पूर्व ही सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम बनाया जायेगा, जिसे जनपदीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में सुविधानुसार स्थापित किया जा सकता है कन्ट्रोल रूम हेतु आवश्यक कम्प्यूटर्स आदि की व्यवस्था क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे महाविद्यालयो से लेकर की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र नही बनें हैं।

(3) कन्ट्रोल रूम में प्रत्येक कम्प्यूटर पर अधिकतम 15 से 16 परीक्षा केन्द्रो के सतत् निरीक्षण हेतु राजकीय महाविद्यालयों के दो-दो शिक्षकों की ड्यूटी लगायी जायेगी। निरीक्षण में परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार की अनुचित स्थिति परिलक्षित होने पर अथवा सी0सी0टी0वी0 आदि सही ढ़ग से कार्य नहीं करने पर उसकी सूचना तत्काल क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सचल दलों को दी जायेगी। इसके साथ ही इसको दैनिक रूप से एक निरीक्षक पंजिका में भी अंकित किया जायेगा।

(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर बनाये गये इस कन्ट्रोल रूम की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जायेगी।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

41- समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एवं उसका विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज नोडल अधिकारी होंगे। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। उक्त प्रारूप पर सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ई मेल info@dheup.com पर दैनिक रूप से रात्रि 09:00 बजे तक प्रेषित की जाय।

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित छात्र छात्राओं, महाविद्यालय के प्रबन्धन, शिक्षक/शिक्षणेतर कार्मिकों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शासन को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
आर0 रमेश कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- संख्या-01/2020/17(1)/सत्तर-1-2020-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के अनुश्रवण हेतु प्रारूप-

दिनांक

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम-
परीक्षा की तिथि/पाली-

परीक्षार्थियों की संख्या			अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या			अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित अभ्यर्थी तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही, विषयवार				अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित महाविद्यालय के प्रबन्धन/शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों /अन्य व्यक्तियों की संख्या तथा उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण			अभ्युक्ति
1			2			3				4			5
क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	
छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	कार्यवाही	अलग-अलग संख्या	कुल	कार्यवाही	

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम-संख्या–131

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

fo/kk;h ifjf'k"V
Hkkx–1] [k.M ¼d½
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

y[kuÅ] eaxyokj] 6 vxLr] 2024
Jko.k 15] 1946 'kd lEor~

उत्तर प्रदेश शासन
fo/kk;h vuqHkkx&1

———————

संख्या 338 / 79-वि-1–2024-1-क-9-2024
लखनऊ, 6 अगस्त, 2024

——————

अधिसूचना
fofo/k

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण), विधेयक, 2024 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग–9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 6 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2024)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, प्रश्न पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन को रोकने, सॉल्वर गिरोह को अभिनिषिद्ध करने और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।

186_RPH_vidhaika -21Adhiniyam folder _(public exam unfair 2024)-2024 Data-4E

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

परिभाषाएं 2—(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, —

(क) ''सार्वजनिक परीक्षा का संचालन'' में प्रश्नपत्र की तैयारी, कोडिंग, डीकोडिंग, मुद्रण, संग्रहण, सुरक्षित अभिरक्षा और वितरण, सार्वजनिक परीक्षा का पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा और उससे संबंधित अन्य मामलें सम्मिलित हैं;

(ख) ''परीक्षार्थी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे परीक्षा प्राधिकारी द्वारा किसी सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे सार्वजनिक परीक्षा में, उसके निमित्त लेखक के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में ''परीक्षा प्राधिकरण'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, —

(एक) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग;

(दो) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग;

(तीन) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय;

(चार) पूर्वोक्त आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय द्वारा नियोजित या गठित कोई अभिकरण या भर्ती समिति; और

(पाँच) सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर गठित, घोषित या नियोजित कोई अन्य प्राधिकरण, अभिकरण या भर्ती समिति;

(घ) ''परीक्षा केंद्र'' का तात्पर्य सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट परिसर से है;

(ङ) ''निरीक्षण दल'' का तात्पर्य किसी भी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने और परीक्षा प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से है;

(च) ''परीक्षा प्राधिकरण से संबद्ध व्यक्ति'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो परीक्षा प्राधिकरण के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, भले ही ऐसा व्यक्ति कर्मचारी या अभिकर्ता हो या किसी भी तरह से उससे संबद्ध हो;

(छ) ''सार्वजनिक परीक्षा'' में सम्मिलित हैं, —

(एक) परीक्षा प्राधिकारी द्वारा लोक सेवा में किसी पद पर भर्ती या नियमितीकरण या पदोन्नति के लिए संचालित कोई अर्हकारी या प्रतियोगी परीक्षा;

(दो) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या निकाय द्वारा किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या किसी अन्य शैक्षणिक विशिष्टता को प्रदान करने या किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता हेतु संचालित कोई अर्हकारी या प्रतियोगी परीक्षा;

(तीन) कोई अन्य परीक्षा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षा घोषित किया गया हो;

(ज) ''लोक सेवा'' का तात्पर्य निम्नलिखित के किसी कार्यालय या स्थापनों में सेवाओं से है, —

(क) राज्य सरकार;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण;

(ग) राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण वाला निगम या उपक्रम;

(घ) उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, जिसमें विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य निकाय या समितियों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अपने अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार से पूर्णतः या आंशिक रूप से निधि प्राप्त करने वाली कोई समिति, या कोई शैक्षणिक संस्था, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, किंतु राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करती हो;

(झ) ''सॉल्वर गिरोह'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से एक या अधिक सार्वजनिक परीक्षाओं में, –

(एक) सार्वजनिक परीक्षा में स्वयं को वास्तविक परीक्षार्थी होने का दिखावा करता हो और ऐसी सार्वजनिक परीक्षा में वास्तविक परीक्षार्थी के रूप में उपस्थित होता हो या उपस्थित होने का प्रयास करता हो; या

(दो) सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग या उसकी प्रतिलिपि को ऐसी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से पहले या उसके दौरान भौतिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त करता है, –

(क) ऐसी सार्वजनिक परीक्षा के एक या अधिक परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ या सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे प्रश्नपत्र को हल करना या हल करने का प्रयास करना या हल करने में सहायता प्रदान करना; या

(ख) ऐसी सार्वजनिक परीक्षा के एक या अधिक परीक्षार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से अनुचित लाभ या सहायता प्रदान करना, जिसमें संचार के साधन या अन्य आधुनिक तकनीक सम्मिलित हैं; या

(तीन) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए किसी भी तरह से सम्मिलित होना;

(ञ) ''पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द'' में सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(ट) ''अनुचित साधन'', –

(एक) सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय परीक्षार्थी के संबंध में इसमें सम्मिलित हैं, –

(क) किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी रूप में लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि की गई, मुद्रित या पुनः उत्पादित किसी भी सामग्री से अनधिकृत सहायता लेना, या किसी भी प्रकार के अनधिकृत टेलीफोनिक, बेतार, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या अन्य उपकरण या गैजेट का उपयोग करना; या

(ख) परीक्षार्थी के शरीर या परिधान के किसी भाग, या परीक्षा हॉल में फर्नीचर, फिक्सचर या फिटमेंट पर साशय कोई चिह्न या छाप अंतलिखित करना, जिसका उपयोग सार्वजनिक परीक्षा के दौरान सहायता के रूप में किया जा सकता है;

(दो) परीक्षार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में इसमें सम्मिलित हैं, –

(क) अनधिकृत रूप से प्रश्नपत्रों का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकटन करने का प्रयास करना या प्रकटन करने का षड्यंत्र करना या प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में रखना या रखने का प्रयास करना; या

(ख) किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रश्नपत्र हल करना, हल करने का प्रयास करना या हल करने में सहायता प्रदान करना, या किसी भी तरीके से किसी भी परीक्षार्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;

(ग) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा में कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना;

स्पष्टीकरण– उप–खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, शब्द ''कंप्यूटर नेटवर्क'', ''कंप्यूटर संसाधन'' और ''कंप्यूटर प्रणाली'' के वही अर्थ होंगे, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21, सन् 2000) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ञ), (ट) और (ठ) में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं;

(तीन) धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना;

(चार) धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षा का संचालन, फर्जी प्रवेश पत्र या ऑफर लेटर जारी करना;

(पाँच) अनुचित मौद्रिक अभिलाभ और भौतिक लाभ प्राप्त करने के आशय से परीक्षा से पहले असली प्रश्नपत्र के रूप में फर्जी प्रश्नपत्र परिचालित करना।

(2) इसमें प्रयुक्त तथा अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों, किन्तु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित का वही अर्थ होगा, जो उन विधियों में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित है।

अपवर्जन

3–(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अनुशास्ति या दंड से संबंधित उपबंध उन परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे जो शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैंः

परन्तु यह कि यदि ऐसा परीक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में किसी पेपर का उत्तर देने में अनुचित साधनों का उपयोग करता हुआ या लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी परीक्षा के संबंधित प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम परीक्षा प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से घोषित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध ''सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकारी'' द्वारा आयोजित ''सार्वजनिक परीक्षा'' पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 1, सन् 2024) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ट) और (ठ) में क्रमशः परिभाषित हैं।

अनुचित साधनों के प्रयोग या उनमें लिप्तता का प्रतिषेध

4–(1) किसी सार्वजनिक परीक्षा या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में या उसके संबंध में अनुचित साधनों का प्रयोग या उसमें लिप्तता प्रतिषिद्ध होगी ।

(2) परीक्षार्थी द्वारा उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन की जांच संबंधित परीक्षा प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से की जाएगीः

परन्तु यह कि ऐसी जांच में परीक्षार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(3) संबंधित परीक्षा प्राधिकारी धारा 13 की उपधारा (1) में परिकल्पित प्रतिबंधों को लगाने के लिए विहित रीति से अनुशास्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा।

प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण

5–सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में अपने कर्तव्यों के आधार पर विधिपूर्वक प्राधिकृत या अनुज्ञात कोई भी व्यक्ति, परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को प्रश्न–पत्र खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व, –

(क) प्रश्न–पत्र या उसके किसी भाग या प्रतिलिपि को नहीं खोलेगा, लीक नहीं करेगा, उपाप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा या हल नहीं करेगा; या

(ख) किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई सूचना नहीं देगा या सूचना देने का वादा नहीं करेगा, जिसके बारे में उसे यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सूचना ऐसे प्रश्न–पत्र से संबंधित है, उससे व्युत्पन्न है या उस पर प्रभाव डालती है।

सूचना देने का प्रतिषेध

6–कोई भी व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्य से न्यस्त किया गया है, सिवाय इसके कि उसे अपने कर्तव्यों के आधार पर ऐसा करने की अनुमति दी गई हो, अनुचित साधनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके, किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी या उसका कोई भाग, जो उसे न्यस्त कार्य के आधार पर ज्ञात हुआ हो, परीक्षार्थी को सदोष अभिलाभ पहुंचाने के लिए नहीं देगा या देने का प्रयास नहीं करेगा।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर प्रतिषेध

7–कोई भी व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य न्यस्त नहीं किया गया है और जो परीक्षार्थी नहीं है, सार्वजनिक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा या प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा या ऐसे केन्द्र में प्रवेश करने के पश्चात् सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने में किसी परीक्षार्थी को कोई सहायता या सहयोग प्रदान करने के लिए वहां नहीं रहेगा।

सहायता करने पर प्रतिषेध

8–निम्नलिखित को, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, निम्नलिखित में से एक या समस्त के साथ, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग या उनमें लिप्तता में किसी परीक्षार्थी की सहायता करने या सहायता करने का प्रयास करने से प्रतिषेध किया जाएगाः–

(एक) परीक्षा प्राधिकरण का अधिकारी या कर्मचारी;

(दो) सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए विनिर्दिष्ट या सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्यों से न्यस्त संस्थान का प्रबंधन या कर्मचारिवृन्द; और

(तीन) सॉल्वर गिरोह।

सार्वजनिक परीक्षा को प्रभावित करने पर प्रतिषेध

9—कोई भी व्यक्ति, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से या सॉल्वर गिरोह के साथ मिलीभगत करके, निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द, अधिकारी या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त, न्यस्त, लगे हुए, सहयोजित किसी व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग द्वारा किसी सार्वजनिक परीक्षा को प्रभावित नहीं करेगा या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, ताकि वह विधिपूर्ण कर्तव्य का पालन न कर सके या किसी परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर सके।

परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग सार्वजनिक परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा

10—कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजनार्थ परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं करेगा या कराने का कारण नहीं बनेगा।

सॉल्वर गिरोह पर प्रतिषेध

11—धारा 9 और 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सॉल्वर गिरोह को निम्नलिखित कार्य करने से प्रतिषिद्ध किया जाएगाः—

(एक) सार्वजनिक परीक्षा के दौरान या उससे एक दिन पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना;

(दो) संबंधित सार्वजनिक परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग या प्रति को अपने पास रखना, उपाप्त करना या उपाप्त करने का प्रयास करना, खोलना या प्रकटन करना;

(तीन) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित सार्वजनिक परीक्षा के दौरान या उससे पहले प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग को हल करना या हल करने का प्रयास करना;

(चार) सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त, न्यस्त, लगे हुए या संबद्ध निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द, अधिकारी या व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग द्वारा किसी सार्वजनिक परीक्षा को प्रभावित करना या प्रभावित करने का प्रयास करना, विधिपूर्ण कर्तव्य का पालन करने या किसी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोकना;

(पाँच) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्य के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत, न्यस्त या किसी व्यक्ति से बल, उत्प्रेरणा या प्रलोभन द्वारा कोई सूचना प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना;

(छः) परीक्षार्थी को गलत लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उसमें संलिप्त अथवा अंतर्वलित होने का कार्य, प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना; और

(सात) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई जानकारी देना या जानकारी देने का वादा करना, जिसके बारे में उसे यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्र से संबंधित है या उससे व्युत्पन्न है या उस पर प्रभाव डालती है।

मूल्यांकन में हेर–फेर का निवारण

12—कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के प्रदर्शन के मूल्यांकन या उसके मूल्यांकन के अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी अथवा हेरा–फेरी करने के प्रयत्न में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त अथवा अंतर्वलित नहीं होगा, जहां ऐसा अभिलेख किसी भी प्रकार से अनुरक्षित किया जाता है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द, "मूल्यांकन अभिलेख" में उत्तर पुस्तिका, सारणीयन पत्रक, अंक रजिस्टर, व्यक्तिगत अंक पत्रक, परिणाम पत्रक या उसकी प्रतिलिपि या इस निमित्त किसी भी प्रकार से अनुरक्षित कोई अन्य रजिस्टर या अभिलेख सम्मिलित है।

शास्ति

13—(1) जहां कोई परीक्षार्थी धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वहां संबंधित सार्वजनिक परीक्षा का उसका परिणाम रोक लिया जाएगा और उसे उस कैलेंडर वर्ष के उत्तरवर्ती एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है, जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उसका परिणाम रोक लिया जाता हैः

परन्तु यह कि ऐसा विवर्जित आदेश उसे विवर्जित अवधि के पश्चात किसी सार्वजनिक परीक्षा या लोक सेवा में सम्मिलित होने के लिए निर्हरित नहीं करेगा ।

(2) जहां धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) के उपखंड (दो) में उल्लिखित परीक्षार्थी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उसे दो वर्ष से अन्यून कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति धारा 5, 6, 7, 10 या 12 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह दो वर्ष से अन्यून कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा दो लाख रुपए के जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा ।

(4) जहां कोई व्यक्ति धारा 8 या 9 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह तीन वर्ष से अन्यून कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा तीन लाख रुपए के जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा ।

(5) जहां कोई सॉल्वर गिरोह धारा 8, 9 या 11 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह सात वर्ष से अन्यून कारावास से, जिसे चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा दस लाख रुपए के जुर्माने से, जो पच्चीस लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा :

परन्तु यह कि यदि कोई सॉल्वर गिरोह ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करता है, तो वह आजीवन कारावास के दण्ड तथा न्यूनतम पचास लाख रुपए के जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा ।

(6) जहां कोई व्यक्ति, चाहे सॉल्वर गिरोह के साथ मिलीभगत से या अन्यथा, आर्थिक या अनुचित लाभ के लिए, परीक्षा प्राधिकरण से जुड़े किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाकर या सदोष अवरोध द्वारा सार्वजनिक परीक्षा के निष्पक्ष संचालन में बाधा डालता है या प्रभावित करता है, तो वह आजीवन कारावास और न्यूनतम पचास लाख रुपये के जुर्माने जो एक करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडनीय होगा ।

कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड

14—जो कोई, किसी सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी कार्य या किसी कर्तव्य के पालन का कार्य सौंपे जाने पर, जानबूझकर किसी कार्य या कर्तव्य की उपेक्षा करेगा, जिसका पालन किया जाना उसके द्वारा अपेक्षित है और जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक परीक्षा से पहले प्रश्न–पत्र का प्रकटन हो सकता है या सार्वजनिक परीक्षा का संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध

15—(1) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध के विरुद्ध कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कंपनी भी, उस अपराध की दोषी समझी जाएगी और कार्यवाही किये जाने के दायी होंगे और तदनुसार दंडित किये जायेंगे:

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसा कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कम्पनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और कार्यवाही किये जाने का दायी होगा और उसे तदनुसार दंडित किया जायेगा।

Li"Vhdj.k& इस धारा के प्रयोजन के लिए, —

(क) 'कंपनी' का अर्थ है कोई निगमित निकाय और इसमें फर्म, सोसायटी या व्यक्तियों का अन्य संघ सम्मिलित है; और

(ख) 'निदेशक' के संबंध में,—

(एक) फर्म का अर्थ है फर्म में भागीदार;

(दो) ''सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य संघ'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे सोसायटी या अन्य संघ के नियमों के अधीन, यथास्थिति,सोसायटी या अन्य संघ के मामलों के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।

16—(1) सॉल्वर गिरोह के सदस्य के रूप में अकेले या समूह में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, ऐसी कोई संपत्ति धारण नहीं करेगा या उस पर कब्जा नहीं करेगा जो पूर्वोक्त धाराओं के अधीन अपराध करके अर्जित की गयी है । संपत्ति की कुर्की और अधिहरण

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद चल या अचल संपत्ति, उपधारा (1) में यथो उल्लिखित किसी अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित की गई है, तो वह ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, चाहे न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान लिया गया हो या नहीं।

(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) में कुर्की के लिए उपबंधित प्रक्रिया प्रत्येक ऐसी कुर्की पर लागू होगी।

(4) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन कुर्क की गई किसी भी संपत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक के पास ऐसी संपत्ति के सर्वोत्तम हित में प्रशासन करने की सभी शक्तियां होंगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रशासन के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता प्रदान कर सकता है।

(6) जहां कोई संपत्ति उपधारा (2) के अधीन कुर्क की जाती है, वहां उसके आवेदक ऐसी कुर्की की जानकारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को एक अभ्यावेदन दे सकते हैं, जहां वह परिस्थितियों और सम्पत्ति अर्जन के स्रोत प्रदर्शित कर सकेगा, जिनमें ऐसी सम्पत्ति उसके द्वारा अर्जित की गयी है ।

(7) यदि जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (6) के अधीन किए गए दावे की मौलिकता के बारे में संतुष्ट हो जाता है, तो वह संपत्ति को तुरंत कुर्की से निर्मुक्त कर देगा और तब ऐसी संपत्ति दावेदार को सौंप दी जाएगी।

(8) जहां उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन नहीं दिया जाता है या संपत्ति उपधारा (7) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्मुक्त नहीं की जाती है, वहां जिला मजिस्ट्रेट मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा।

(9) जहां जिला मजिस्ट्रेट ने उपधारा (2) के अधीन किसी संपत्ति को कुर्क करने से इनकार कर दिया है या उपधारा (7) के अधीन किसी संपत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश दिया है, वहां राज्य सरकार या ऐसे इनकार या निर्मुक्ति से व्यथित कोई व्यक्ति, उपधारा (8) के अधीन सक्षम न्यायालय को जांच के लिए आवेदन कर सकता है कि क्या संपत्ति सॉल्वर गिरोह के किसी सदस्य द्वारा अकेले या समूह में अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित की गई थी, जो इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन अपराध का अभियुक्त है। न्यायालय, यदि न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि करने या उसे अपास्त करने के लिए आदेश पारित कर सकता है।

(10) उपधारा (8) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर या उपधारा (9) के अधीन किसी आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय जांच के लिए दिनांक नियत करेगा और उपधारा (9) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति को, यथास्थिति, उपधारा (6) के अधीन अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को तथा राज्य सरकार को, तथा किसी अन्य व्यक्ति को भी, जिसका हित, मामले में अंतर्वलित प्रतीत होता है इसकी सूचना देगा ।

(11) इस प्रकार नियत दिनांक को या जहाँ जांच स्थगित की गयी हो किसी पश्चातवर्ती दिनांक को, न्यायालय पक्षकारों को सुनेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्राप्त करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा जैसा वह आवश्यक समझे, और विनिश्चिय करेगा कि क्या संपत्ति सॉल्वर गिरोह द्वारा इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी तथा ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में उचित और आवश्यक हो ।

(12) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यह साबित करने का भार कि प्रश्नगत संपत्ति या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं की गयी थी, सॉल्वर गिरोह द्वारा अर्जित संपत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

(13) यदि ऐसी जांच के बाद न्यायालय पाता है कि संपत्ति इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध करने के परिणामस्वरूप सॉल्वर गिरोह द्वारा अर्जित नहीं की गई थी,न्यायालय उस सम्पत्ति को उस व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश देगा जिसके कब्जे से वह सम्पत्ति कुर्क की गयी थी।

(14) जहां अभियुक्त को इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वहां न्यायालय, कोई भी दण्ड पारित करने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा यह घोषित करेगा कि ऐसे अभियुक्त की कोई भी संपत्ति सभी भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित मानी जाएगी।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजन के लिए "संपत्ति" से तात्पर्य ऐसी समस्त संपत्ति से है, चाहे वह चल हो या अचल, जो किसी सॉल्वर गिरोह द्वारा इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन अपराध करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गयी हो या ऐसी संपत्ति जो अपराध से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गयी हो तथा इसमें नकदी भी सम्मिलित होगी, चाहे वह संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम पर हो या किसी के कब्जे में पायी गयी हो।

संज्ञान और विचारण

17–(1) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय, गैर–जमानतीय अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय होंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपराधों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से अनिम्न पद के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।

जमानत से संबंधित उपबंध

18–इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन किसी अपराध का आरोपी कोई व्यक्ति तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि,–

(एक) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(दो) जहां लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करता है, वहां सत्र न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं हैः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अधीन यदि सत्र न्यायालय ऐसा निदेश दे,किसी अपराध का आरोपी कोई व्यक्ति, जो महिला, बीमार या दुर्बल है, जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

सभी लागतों और व्ययों का भुगतान करने के लिए प्रबंधन आदि का दायित्व

19–(1) यदि कोई व्यक्ति, संस्था, मुद्रणालय, सेवा प्रदाता, जिसने –

(एक) परीक्षा के लिए अनुबंध किया हो या आदेश दिया हो; या

(दो) परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रबंधन किया हो; या

(तीन) परीक्षा सामग्री रखने या परिवहन के लिए प्राधिकृत किया हो;

इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित लागत और व्यय का भुगतान करना होगा और भविष्य में ऐसे समनुदेशन के लिए हमेशा के लिए वर्जित कर दिया जाएगा।

(2) यदि परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल द्वारा प्रश्न पत्र हल किए जाते हैं या किसी भी तरह से सहायता प्रदान की जाती है, तो उक्त केंद्र को किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन से विवर्जित कर दिया जाएगा।

लोक सेवक

20–सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में लगे प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45,सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28) के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।

21—राज्य सरकार समय—समय पर इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए लिखित रूप में निदेश या आदेश जारी कर सकेगी। निदेश या आदेश जारी करने की शक्ति

22—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या आशयित सार्वजनिक परीक्षा में अंतर्ग्रस्त राज्य सरकार या लोक सेवा में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

23—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) के अध्याय इकतीस के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील पर लागू होंगे। अपील

24—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 3 के अधीन अनुचित साधनों का प्रयोग करते या उनमें संलिप्त पाए गए परीक्षार्थी के परिणाम की घोषणा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परीक्षार्थी की जांच;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन मंजूरी प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करने का तरीका; और

(घ) कोई ऐसा विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

25—इस अधिनियम के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अध्यारोही प्रभाव

26—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध लागू होंगे।

27—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1998) और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 2024) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है: निरसन और व्यावृत्तियां

परन्तु यह कि ऐसा निरसन प्रभावित नहीं करेगा,—

क—इस प्रकार निरसित अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन; या

ख—इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

ग—इस प्रकार निरसित अधिनियम के किसी उपबंध के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड; या

घ—पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय प्रारम्भ किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या लागू किया जा सकेगा और ऐसा कोई शास्ति, समपहरण या दंड लगाया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था:

परन्तु यह और कि, पूर्ववर्ती परंतुक के अध्यधीन, इस प्रकार निरसित अधिनियम या अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन जो कुछ भी किया गया या की गई कोई भी कार्रवाई (जिसमें बनाए गए प्राधिकरण, प्रदत्त शक्तियां, दिए गए आदेश और स्वीकृत क्षतिपूर्ति सम्मिलित हैं) जहां तक वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्सम्बन्धी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई मानी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक/सम्बद्ध समय पर प्रवृत्त थे ।

——————

उद्देश्य और कारण

सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार द्वारा युवाओं के साथ किया जाने वाला अन्याय किसी राष्ट्रीय पाप से कम नहीं है तथा राज्य सरकार उन तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु कृत संकल्पित है, जो उत्तर प्रदेश में रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं । यदि योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति ईमानदारी से नहीं की जाती है, तो इससे युवाओं को राज्य से पलायन होने के लिए विवश होना पड़ता है।

सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के कारण परीक्षाएं विलंबित होती हैं तथा रद्द हो जाती हैं, जिससे लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । वर्तमान में, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 को राज्य सरकार तथा उसके अभिकरणों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में विभिन्न इकाईयों तथा सॉल्वर गिरोहों द्वारा अपनाए गए अनुचित साधनों या किए गए अपराधों से निपटने में सक्षम नहीं पाया गया है।

अतएव, यह आवश्यक है कि परीक्षा प्रणाली की भेद्यता का लाभ उठाने वाले तत्वों की पहचान की जाए तथा एक व्यापक राज्य विधान के माध्यम से उनसे प्रभावी ढंग से निपटा जाए ।

इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता लाना तथा युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके निष्ठापूर्ण तथा वास्तविक प्रयास निष्पक्ष रूप से पुरस्कृत होंगे तथा उनका भविष्य सुरक्षित है।

इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों, संगठित गिरोहों या संस्थाओं को प्रभावी और विधितः भयोपरत करना है जो विभिन्न अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं और मौद्रिक या अनुचित लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

छात्र एवं प्रतियोगी अभ्यर्थियों को उनके भविष्य के दृष्टिगत आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जायेगा परन्तु सार्वजनिक परीक्षाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले दोषियों के विरूद्व निर्णायक एवं कठोर कार्यवाही सुनिश्चित होगी।

यह विधेयक राज्य अभिकरणों को राज्य स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में बाधा डालने से आपराधिक तत्वों को निवारित करने में सहायता करेगा।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

प्रेषक, संख्या–1043 / सत्तर–1–2022–16(9) / 2018

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2022

विषय:–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति–व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–01 / 2020 / 17 / सत्तर–1–2020–16(9) / 2018 दिनांक 03 जनवरी, 2020 एव शासनादेश संख्या–410 / सत्तर–1–2020–16(9) / 2018, दिनांक 04 मार्च, 2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। तत्क्रम में परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति–व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

1. सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय, तत्पश्चात अपरिहार्य परिस्थिति में ही स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय।
2. जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमे प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मानीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे के डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा।
3. परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्याए एक कक्ष मे न्यूनतम दो व जहां कक्षहाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी0सी0टी0वी0 कैमरे मे वायस रिकार्डर एवं डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।
4. विगत तीन वर्षों मे सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के निरीक्षण / पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रो पर सामूहिक नकल की शिकायते पाये

जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों का परीक्षा समिति शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

5. जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को न्यूनतम 03 वर्ष परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय।

6. जिन महाविद्यालयों के डाटा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर अपलोड न हों, उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाय।

7. गत वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हो और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

8. जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय।

9. परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।

10. किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक को हटाकर वहां राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम असिस्टेन्ट प्रोफेसर को सह केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित करायी जाये।

11. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगाकर या खुले में परीक्षाएं आयोजित न करायी जाय।

12. एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय इसके साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किये जाने का भी निषेध किया जाता है। इस प्रकार ऐसे केन्द्रों का आवंटन कदापि न किया जाय। इसी के साथ ही प्रबन्ध–तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रो पर उसी प्रबन्ध तंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी जाय।

13 विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर नहीं आवंटित किया गया है,

Scanned with OKEN Scanner

विभिन्न प्रबंन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है तथा एक ही प्रबन्ध–तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रो पर उसी प्रबन्ध–तंत्र से संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी गयी है।

14 जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार नहीं किए गए है तो केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहाँ के प्राचार्य डिबार है वहा वाह्य केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

15 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के आवंटन की प्रकिया की पारदर्शिता का परीक्षण करेंगे। विसंगति/आपत्ति प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त करना होगा।

15 जिला/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समन्वय स्थापित करके संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा।

2– वर्तमान में आसन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं को पूर्वोक्त उद्देश्यों व शासन की जीरो टालरेन्स की नीति के अनुरूप सकुशल सम्पन्न करने के दृष्टिगत निम्नवत् अतिरिक्त निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. विश्वविद्यालय के कुलपति केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध मे पुन अपने स्तर से समीक्षा कर लें व शासन के दिशा–निर्देशों के अनुपालन होने की स्थिति से आश्वस्त हो जायं।
2. विश्वविद्यालय के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर परीक्षा केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी तथा संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध मे उन्हें अवगत भी कराया जायेगा साथ ही तिथिवार परीक्षा कार्यकम भी उन्हें उपलब्ध कराते हुये सहयोग हेतु अनुरोध किया जायेगा।
3. परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन व अन्य अधिकारीगण से वर्चुअल माध्यम से बैठक कर प्रभावी रणनीति बनाये जाने हेतु विचार–विमर्श कर लिया जाय।

4 किसी भी विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र पर कोई भी प्रतिकूल घटना संज्ञान में आने पर कुलसचिव द्वारा तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया जायेगा तथा त्वरित कार्यवाही की जायेगी एवं शासन को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। इस हेतु कुलसचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. विश्वविद्यालय के कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव द्वारा परीक्षा अवधि में प्रतिदिन परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण किया जायेगा।

6 विश्वविद्यालय द्वारा स्वच्छ छवि के अधिकारीगण के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या मे उड़ाकादल गठित किये जाय। आवश्यकता होने पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियो को भी उड़ाकादल का नेतृत्व प्रदान किया जा सकता है।

7 यथा आवश्यकता जिला विद्यालय निरीक्षक का भी सहयोग लिया जाय।

8 समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियो की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एव उसका विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु निदेशक उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज

Scanned with OKEN Scanner

नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु निर्धारित किये गये प्रारूप पर निदेशक उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ई मेल mfodheup21@gmail.com पर दैनिक रूप से रात्रि 09:00 बजे तक सूचना प्रेषित की जाय।

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा परीक्षा सम्पादन के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित छात्र छात्राओं महाविद्यालयों के प्रबन्धन शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शासन को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का यथासमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तदनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय। यह भी ध्यातव्य है कि परीक्षा केन्द्र के निर्धारण, परीक्षाओं के संचालन प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, गोपनीयता, अनुचित साधनों के नियन्त्रण हेतु प्रदत्त किये गये निर्देशों से विचलन किये जाने, व्यतिक्रम होने या निर्देशों का उल्लंघन किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे आने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–1043(1)/सत्तर–1–2022–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय उत्तर प्रदेश।
9– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित कर यथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से

(राम जन्म चौहान)
अनु सचिव।

1 S0-1 # 2021 GG